तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोपीराम अग्रवाल बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 243 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.21	अपीलार्थी गोपीराम अग्रवाल, पता आर.टी.आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाड़ा ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.09..20 में उसके द्वारा (1) राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग ने दिनांक 26.12.2019 को ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक भूमियों एवं सार्वजनिक स्थलों तथा चारागृह, जोहड़, तालाब, नदी, श्मशान, कब्रिस्तान सार्वजनिक प्रस्ताव इत्यादि पर अतिक्रमणों के हटाने संबंधि विस्तृत निर्देश जारी किये गये जिसके बिन्दु सं0 2 में उक्त प्रकार की शिकायतों एवं परिवादों के संधारण हेतु पंजिका का संधारण निर्धारित प्रारूप में करने से सन्दर्भ में आपके जिले में उपरोक्त निर्देश अनुसार संधठितं की गई पंजिका की प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(अपर कलक्टर जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	